भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या 2097
सोमवार, 20 मार्च, 2023 (29 फाल्गुन,1944 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

हवाई यात्रियों से वसूल किए जाने वाला सुविधा शुल्क

2097. श्री सतीश चंद्र दूबे:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और अन्य हवाई अड्डा संचालन कंपनियों द्वारा विमान पत्तनों पर यात्रियों से कोई सुविधा शुल्क वसूला जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि देश के कुछ हवाई अड्डों पर ग्राहकों से अधिक शुल्क लिया जाता है और शुल्क में एकरूपता नहीं है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे अंतर के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का इस गतिविधि को विनियमित करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डा.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क) से (च): भारत सरकार ने, वैमानिकी सेवाओं के टैरिफ निर्धारण, प्रमुख हवाईअड्डों पर प्रयोक्ता विकास शुल्क सहित यात्रियों से लिया जाने वाला शुल्क और हवाईअड्डों पर सेवाओं के निर्धारित निष्पादन मानकों की मॉनीटरिंग करने के उद्देश्य से, वर्ष 2009 में, भारतीय विनियामक आर्थिक विमानपत्तन प्राधिकरण (ऐरा) की स्थापना की है। समय-समय पर यथासंशोधित ऐरा अधिनियम, 2008 के अनुसार, प्रमुख हवाईअड्डों को उन हवाईअड्डों के रूप में परिभाषित किया गया है, जिनकी वार्षिक यात्री संख्या साढ़े तीन मिलियन से अधिक है, या उस हवाईअड्डे या हवाईअड्डों के समूह के रूप में, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। वर्तमान में, ऐरा अधिनियम, 2008 के तहत 27 हवाईअड्डे, प्रमुख हवाईअड्डों की श्रेणी में आते हैं।

ऐरा के दायरे में नहीं आने वाले गैर-प्रमुख हवाईअड्डों को, समय-समय पर यथासंशोधित, वायुयान अधिनियम, 1934 और वायुयान नियम, 1937 के तहत मौजूदा प्रावधानों के अनुसार सरकार द्वारा विनियमित किया जाना अपेक्षित है।

****